

दिनांक

आदेश

अभ्युक्ति

12/10/19

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक चन्द्रेश कुमार सावैयाँ, पिता- स्व० लादुरा सावैयाँ, उर्फ लादुरा मास्टर हो, निवासी ग्राम- गितिलपी, थाना- मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- गितिलपी, थाना नं०- 580 के अन्दर खाता नं०-39, प्लॉट नं०- 186 एवं 189, रकवा कमशः 06 डी० 240 वर्गकड़ी एवं 02 डी० 210 वर्गकड़ी, कुल रकवा- 08 डी० 450 वर्गकड़ी भूमि क्रेता राजवन्ती देवगम, पिता- स्व० नीतू देवगम, ग्राम- पुरनिया, थाना- मुफ्फसिल चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के नाम पर ना०मु०सं०- 283/2015-16 द्वारा नामांतरित है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 584 दिनांक- 31.08.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि शिक्षा एवं ईलाज हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता राजवन्ती देवगम, पिता- स्व० नीतू देवगम, ग्राम- पुरनिया, थाना- मुफ्फसिल, चाईबासा के पास 4,23,000.00/- (चार लाख तैईस हजार) रुपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना मुफ्फसिल के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक चन्द्रेश कुमार सावैयाँ, पिता- स्व० लादुरा सावैयाँ, उर्फ लादुरा मास्टर हो, निवासी ग्राम- गितिलपी, थाना- मुफ्फसिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने भूमि क्रेता राजवन्ती देवगम, पिता- स्व० नीतू देवगम, ग्राम- पुरनिया, थाना- मुफ्फसिल चाईबासा के पास जमीन को 4,23,000.00/- (चार लाख तैईस हजार) में मौजा- गितिलपी, थाना नं०- 580 के अन्दर खाता नं०-39, प्लॉट नं०- 186 एवं 189, रकवा कमशः 06 डी० 240 वर्गकड़ी एवं 02 डी० 210 वर्गकड़ी, कुल रकवा- 08 डी० 450 वर्गकड़ी जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।